न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 74/2022

1. राजेन्दसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. विजयसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. सम्पतसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. दीपेन्द्रसिंह पुत्र मुकेश कवंर पत्नी भानुप्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
4. अजयराजसिंह पुत्र मुकेश कवंर पत्नी भानुप्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीशसिंह पुत्र रूघनाथसिंह जाति राजपूत निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. दलीपसिंह पुत्र रूघनाथसिंह जाति राजपूत निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. मदनसिंह पुत्र रूघनाथसिंह जाति राजपूत निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. रतनसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. सुगनसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. सुरेन्द्रसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
7. उच्छवकंवर पत्नी छतुसिंह जाति राजपूत निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
8. बाजला ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
9. इलाहाबाद बैंक शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लालपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. बैंक ऑफ बड़ौदा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
12. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धन्दूरी जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दीवानी व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 04.10.2023

संक्षेप मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बाजला पटवार हल्का बाजला की सरहद में भूमि ख0न0 266/453 रकबा 0.80 है0, ख0न0 266/454 रकबा 0.06 है0, ख0न0 267 रकबा 0.05 है0, ख0न0 268 रकबा 0.75 है0, ख0न0 268/452 रकबा 0.64 है0, ख0न0 276/451 रकबा 0.02 है0, ख0न0 268/395 रकबा 0.40 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.72 है0 भूमि अवस्थित है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 अपने दर्ज हिस्से एवं बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त है कब्जा काश्त बाबत पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। वादग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा से बाजला से फिरास का बास सड़क जाती है जो आवेदकगण व अनावेदकगण के दक्षिणी पूर्वी सिरे से होकर गुजरती है। इसलिये उक्त भूमि का बतौर बाहमी बंटवारा एवं मुताबिक कब्जा काश्त बाजला से फिरास का बास जाने वाली सड़क से ट्रेक्टर, ट्राली आदि आसानी से आवागमन कर सके इस प्रकार रास्ते का प्रावधान रखते हुये आवेदकगण का संयुक्त रूप से अलग से खाता विभाजन किया जावे। अनावेदकगण 1 लगायत 8 वादग्रस्त भूमि पर नया निर्माण कार्य कर आवागमन व कब्जा काश्त की भूमि में बाधा उत्पन्न करना चाहते है। आवेदकगण का प्रथम दृष्टिया मज़बूत मामला है सुविधा का संतुलन व अपार क्षति का बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में है यदि अनावेदकगण 1 लगायत 8 वादग्रस्त भूमि में निर्माण कार्य कर आवागमन व कब्जा काश्त की भूमि में बाधा कारित करने है तो आवेदकगण को असहनिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। इसलिये वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण स्ट्रोंग प्राईमा फेसी होने सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में होने से अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में ट्रेक्टर ट्रोली, कल्टी वगैरह लाने ले जाने मे कोई अनावश्यक दखलन्दाजी पैदार नहीं करें कोई निर्माण कार्य नहीं करें दावा के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 5, 6, 7 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि आवेदकगण ने यह तथ्य गलत पेश किया है कि अनावेदकगण वादग्रस्त भूमि पर नया निर्माण कार्य कर आवागमन व कब्जा काश्त की भूमि में बाधा उत्पन्न करना चाहते है। आवेदकगण का प्रथम दृष्टिया मजबूत मामला हो एवं सुविधाका सन्तुलन व अपार क्षति का बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में हो इसलिये जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र मय कोष्ट खारीज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण संख्या 1, 4 व 8 बाद तामिल अनुपस्थित रहे इनकी ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी पक्षकार अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण संख्या 1, 4 व 8 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश की। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि अनावेदकगण आवेदकगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि तक बाजला से फिरांस का बास जाने वाली सड़क से ट्रेक्टर, ट्रोली तथा कल्टीवेटर आदि ले जाने से इन्कार कर रहें हैं जबकि आवेदकगण के पास अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। आवेदकगण ने अपने हिस्से में आई भूमि में रिहायश भी कर रखी है जहां कोई बड़ा वाहन भी ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है ट्रेक्टर, ट्रोली तथा कल्टीवेटर नहीं जा पाने से आवेकदगण को अपनी भूमि काश्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। चूंकि सभी विवादों का निस्तारण दावे में तय होना है परन्तु अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी
पालसीसर

दावा के निस्तारण से पहले ही आवेदकगण के उपयोग उपभोग में आने वाले रास्ते में बाधा कारित करना चाहते है तो आवेदकगण के लिए इसकी भरपाई किया जाना सम्भव नहीं है।

आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है क्योंकि आवेदकगण ने दावे में अपनी जोत तक पहुंच के लिये सुविधाजनक रास्ते की मांग की है जिसका निर्धारण होना है। यहां सुविधा का सन्तुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है क्योंकि आवेदकगण व अनावेदकगण के मध्य रास्ता कायम कर विभाजन किया जाना है। उक्त दौराने दावा यदि अनावेदकगण वर्तमान चालु रास्ते को बंद करने या रोकने में कामयाब हो जाते है तो आवेदकगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी आवेदकगण के पक्ष में है। इसलिये दावे के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना न्यायसंगत है जिससे पक्षकारान के मध्य आपसी झगड़ा फसाद ना हो। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किया जो निम्नानुसार है :-

1. आरआरटी 2018(1) पेज न0 156 माननीय उच्चतम न्यायालय सिविल अपील संख्या 16610-11/2016 निर्णय दिनांक 13.04.2017

विद्वान अधिवक्ता अनावेदकगण ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की भूमि पर पक्के पुख्ता मकानात बना कर आबाद है अप्रार्थीगण अपने-अपने कब्जा काश्त की भूमि पर पीने के पानी के लिये नलकूप का निर्माण कर विधुत कनेक्शन करवाना चाहते है साथ ही पशुओं के चारे के लिये अर्द्ध पक्का मकान बनवाना चाहते है। वादग्रस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते। जिससे अप्रार्थीगण को गम्भीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय कोष्ट खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किया जो निम्नानुसार है :-

1. आरआरडी 1999 पेज न0 476-77
2. आरआरडी 2020 पेज न0 88-91
3. आरआरटी 2019(2) पेज न0 777-779
4. एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 3043/2013
5. डीएनजे 2021(1) पेज न0 113 से 115
6. आरआरडी 1999 पेज न0 327-329

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने चालु रास्ते को बंद ना करने एवं रास्ते पर किसी प्रकार का नवीन निर्माण नहीं करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। मूल वाद में प्रार्थीगण द्वारा रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन का अनुतोष चाहा है प्रार्थी ने कथन किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे रास्ते पर निर्माण कार्य कर रास्ते को अवरूद्व करने का प्रयास कर रहे है अप्रार्थीगण निर्माण आदि कर रास्ते को अवरूद्व कर देते है तो प्रार्थीगण को उनकी कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने में कठिनाई होगी। प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने में बाधा कारित होने से प्रार्थीगण के खातेदारी हितों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में है। अप्रार्थीगण की ओर से अपने कब्जे काश्त की भूमि में नलकूप निर्माण कर विधुत कनेक्शन लेने एवं अन्य निर्माण कार्य करने का कथन किया गया जो कि विधिवत विभाजन होने के पश्चात ही संभव है। क्योंकि कानूनन संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक सहआसामी का भूमि के प्रत्येक इंच पर बराबर का हिस्सा होता है जब तक कि सहआसामी द्वारा सक्षम स्तर से विधिवत

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

विभाजन करवाकर अलग खाता नहीं करवा लिया जावे। सहखातेदार के मध्य विभाजन के वाद में प्रत्येक खातेदार को उनके हिस्से की भूमि तक पहुंच हेतु रास्ते का प्रावधान किया जाकर विभाजन किया जाना ही कानून की मंशा है। ऐसे में प्रश्नगत प्रकरण में पक्षकारान को उनकी कब्जे काश्त की भूमि में पहुंच हेतु रास्ता ही उपलब्ध नहीं होगा तो उनके काश्तकारी हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उक्त तथ्यों के मध्यजनर मूल वाद में अन्य कोई जटिलता ना हो, इसके लिए मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाने में कोई प्रतिकुलता दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायहीत में उचित प्रतीत होता है।

तमाम साक्ष्य सबूतों के मध्यनजर यह न्यायालय इस बात से सहमत है कि मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए ताकि मूल वाद के निस्तारण में ओर जटिलता पैदा ना हो। इसलिये मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बाजला की सरहद में स्थित भूमि ख0न0 266/453 रकबा 0.80 है0, ख0न0 266/454 रकबा 0.06 है0, ख0न0 267 रकबा 0.05 है0, ख0न0 268 रकबा 0.75 है0, ख0न0 268/452 रकबा 0.64 है0, ख0न0 276/451 रकबा 0.02 है0, ख0न0 268/395 रकबा 0.40 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.72 है0 भूमि के दौराने दावा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/10/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर